Witness No– –06––for –––– **अभियोजन साक्षी** ––– Deposition taken on **25/11/2025** day of ––––**मंगलवार**–– Witness's apparent age **39** y.
States on affirmation –––– my name is **–हलेश्वर सिंह**
Son of – श्री ईश्वर सिंह नेताम occupation –पटवारी–
address– हल्का नंबर 06 ग्राम कुंडेल, उपतहसील करेडीबड़ी, जिला धमतरी (छ.ग.)

.....

–मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एम.एल.क्षत्रिय विशेष लोक अभियोजक वास्ते राज्य–

1. मैं वर्तमान में हल्का नंबर 06 ग्राम कुंडेल, उपतहसील करेडीबड़ी, जिला धमतरी (छ.ग.) में पटवारी के पद पर पदस्थ हूं। माह दिसम्बर 2016 से वर्ष 2021 तक प.ह.नं. 18 मोंहदी में पटवारी के पद पर पदस्थ था।

2. मेरी प.ह.नं. 18 मोंहदी में पदस्थापना के दौरान दिनांक 06.12.2019 को तहसील कार्यालय मगरलोड में पुलिस के समक्ष पटवारी बलदाउ सिंह के द्वारा लिखित प्रतिवेदन, माह मार्च, अप्रैल एवं मई में वेतन प्रदाय की जाने हेतु आवेदन पत्र, कारण बताओ नोटिस की जानकारी, कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्रतिवेदन को पेश किया था, जिसे पुलिस वाले जप्त किये थे। जप्ती पत्र **प्र.पी. 18** के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। दिनांक 02.12.2019 को अजाक थाना धमतरी द्वारा मांग किये जाने पर मैंने पी–2 खसरा पांचशाला का मूल रजिस्टर वर्ष 2009 से 2014 तक ग्राम मोहदी, प.ह.नं. 02, रा.नि.मं. तहसील मगरलोड, जिसमें खसरा नंबर 248 रकबा 0.13 हेक्टेयर, जिसमें कब्जेदार का नाम हीरालाल, पिता दुर्योधन लिखा हुआ, जिसके परिवर्धन के बतौर वर्ष 2012–13 के परिशिष्ट में श्रवण, पिता शिवप्रसाद दर्ज है। एक बी–वन फार्म, किश्तबंदी खतौनी ग्राम मोहंदी, तहसील मगरलोड, जिसके रजिस्टर के क्रमांक 298 भूस्वामी का नाम श्रवण कुमार, पिता शिवप्रसाद, जाति तेली अंकित है, को पुलिस वाले के समक्ष पेश करने पर जप्ती बनाये थे। जप्ती पत्र **प्र.पी. 19** के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

3. नायब तहसीलदार मगरलोड़ के मांग करने पर मैंने बी–वन वर्ष 2009–10, जो भूमि स्वामी श्रवण कुमार तथा शिवप्रसाद के नाम पर दर्ज है, को मूल रजिस्टर से बनाकर

दिया था। बी–वन की सत्यप्रतिलिपि **प्र.पी. 20** है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। पांचशाला खसरा **प्र.पी. 21** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। सहकारी वितरण संस्था मोंहदी में धान विक्रय करने के संबंध में पंजीयन की जानकारी हेतु प्रबंधक, प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति मोंहदी द्वारा संशोधन पंजी की मांग करने पर संशोधन पंजी की प्रति दिया था, जो **प्र.पी. 22** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। थाना मगरलोड के द्वारा मांग करने पर मैं खसरा नंबर 239 का रीनंबरी प्रदान किया था। रीनंबरी **प्र.पी. 23** के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

–प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमित झा अधिवक्ता वास्ते आरोपी श्रवण साहू–

4. यह कहना सही है कि प्र.पी. 20 फार्म बी–वन तथा प्र.पी. 21 फार्म पी–2 की प्रविष्टि मेरे द्वारा नहीं की गयी है और न ही मेरे सामने की गयी है। प्र.पी. 22 की कार्यवाही प्रबंधक जेगेश्वर साहू के द्वारा की गयी है। यह कहना सही है कि प्र.पी.22 के संशोधन आवेदन में रकबा का ही उल्लेख है, खसरा नंबर का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि प्र.पी. 23 के साथ रीनंबरिंग के संबंध में किया गया आदेश मैंने संलग्न नहीं किया है। यह कहना सही है कि प्र.पी. 20 व 21 की प्रविष्टि किसके द्वारा की गयी है मैं नहीं बता सकता।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश दुबे अधिवक्ता वास्ते आरोपी बलदाउ सिंह–

5. यह कहना सही है कि प्र.पी.18 में जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, उन दस्तावेज को मेरे समक्ष तैयार नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि प्र.पी. 18 में क्या–क्या लिखापढी की गयी है तथा कौन–कौन से दस्तावेज हैं, ये पुलिस वाले मुझे नहीं बताये थे।

साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी.एस.टी. एक्ट)
धमतरी (छ.ग.)

सही/–
(राम कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी.एस.टी. एक्ट)
धमतरी (छ.ग.)